The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010

Act 17 of 2010

Keyword(s):
MLA, Salary and Allowances, Salary, Allowances, Member, Legislative

Amendments appended: 15 of 2011, 23 of 2012, 8 of 2013

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र. 2702-162-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 3.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 4-A.
5. Amendment of Section 4-B.
6. Substitution of Section 4-C.
7. Substitution of Section 5.
8. Amendment of Section 6-A.
9. Amendment of Section 6-B.
10. Amendment of Section 6-C.
11. Amendment of Section 7.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 23rd April 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th April, 2010].

An Act Further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

Amendment of Section 3. 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "nine thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the Principal Act, for the words "twelve thousand rupees", the words "sixteen thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 4-A.

4. In Section 4-A of the Principal Act, for the words "seven thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 4-B.

5. In Section 4-B of the Principal Act, for the words "two thousand rupees", the words "four thousand rupees" shall be substituted.

Substitution of Section 4-C.

6. For Section 4-C of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Orderly allowance.

"4-C. There shall be paid to every member orderly allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.".

Substitution of Section 5.

7. For Section 5 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Bus Travelling Allowance.

"5. There shall be paid to every member Bus Travelling Allowance at the rate of two hundred fifty rupees per mensem.".

Amendment of Section 6-A.

8. In sub-section (1) of Section 6-A of the Principal Act.—

(i) in the first paragraph, for the words "six thousand rupees", the words "seven thousand rupees" shall be substituted.

(ii) in the first proviso, for the words "two hundred rupees", the words "three hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 6-B.

9. In Section-6-B of the Principal Act, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 6-C.

10. In Section-6-C of the Principal Act, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 7.

11. In sub-section (1) of Section 7 of the Principal Act, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल 2011—वैशाख 7, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 2614-166-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 अप्रैल, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०११

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २३ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २७ अप्रैल, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह दिनांक २७ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ५ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

बस यात्रा भत्ता.

"५ प्रत्येक सदस्य को तथा धारा ६-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार प्रत्येक व्यक्ति को पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से बस यात्रा भत्ता दिया जाएगा.".

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल, 2011

क्र. 2615-166-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.15 of 2011.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 23rd April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th April,2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodan) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 27th April, 2010.

Substitution of Section 5.

2. For Section 5 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the following Section shall be substituted, namely :—

Bus Travelling Allowance.

"5. There shall be paid to every member and every person entitled to pension under section 6-A Bus Travelling Allowance at the rate of five hundred rupees per mensem.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 मई 2012—वैशाख 15, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. 2569-178-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 मई, 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन् २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१२

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा ४-ख का संशोधन.
४. धारा ४-ग का संशोधन.
५. धारा ५ का संशोधन.
६. धारा ५-ख का संशोधन.
७. धारा ६-क का संशोधन.
८. धारा ६-ख का संशोधन.
९. धारा ६-ग का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१२

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक ३ मई, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति "मध्यप्रदेश राजापत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ मई, २०१२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा ४ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में शब्द "सोलह हजार" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ४-ख का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४-ख में, शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ४-ग का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४-ग में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ५ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा ५-ख का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ५-ख में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाएं. अर्थात्:—

"(३) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई सदस्य मध्यप्रदेश राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है, तो वह ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसी यात्राओं की कुल संख्या प्रतिवर्ष चौंतीस से अधिक नहीं होगी.".

धारा ६-क का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा ६-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द "सात हजार" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परंतुक में, शब्द "तीन सौ" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं.

धारा ६-ख का संशोधन. ८. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ६-ग का संशोधन. ९. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. 2570-178-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 of 2012

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

TABLE OF CONTENTS

Sections

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 4-B.
4. Amendment of section 4-C.
5. Amendment of section 5.
6. Amendment of section 5-B
7. Amendment of section 6-A.
8. Amendment of section 6B.
9. Amendment of section 6-C.

MADHYA PRADESH ACT

No. 23 of 2012

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governer on the 3rd may, 2012 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th May, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follow:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

Amendment of section 4. 2. In section 4 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Sixteen thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted.

Amendment of section 4-B. 3. In section 4-B of the prinicipal Act, for the words "four thousand', the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of section 4-C. 4. In section 4-C of the Principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of section 5.

5. In section 5 of the Principal Act, for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted.

Amendment of section 5-B

6. In section 5-B of the Principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Without prejudice to the provisions of this Act, where a member travels by air within the State of Madhya Pradesh from one place to another, he shall be entitled to reimbursement of the air fare of such journey:

Provided that the total number of such journeys under this sub-section shall not be more than thirty four per year.".

Amendment of section 6-A.

7. In section 6-A of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) in the opening paragraph, for the words "seven thousand", the words "fifteen thousand" shall be substituted;

(ii) in the first proviso, for the words "three hundred", the words "five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 6-B.

8. In section 6-B of the principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

Amendment of section 6-C.

9. In section 6-C of the principal Act, for the words "five thousand", the words "ten thousand" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2013—पौष 20, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 220-17-इक्कीस-अ-(प्रा.) अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०१३

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक ८ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ६-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ६-क में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ के प्रारंभ से, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि के लिए कार्य किया है, पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाएगा:

परंतु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा और किसी सदस्य की अवधि के अंतिम वर्ष की छह मास या अधिक की कालावधि अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 221-17-इक्कीस-अ-(प्रा.) अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 8 of 2013

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Section 6-A.

2. In Section 6-A of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) With effect from the commencement of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2012, there shall be paid a pension of fifteen thousand rupees per mensem to every person who has served for any period as a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly :

Provided that where a person has served as a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly for a period exceeding five years, there shall be paid to him an additional pension of five hundred rupees per mensem for every year in excess of five years, and the period of six months or more of the last year of the term of any member shall be deemed whole year for the purpose of earning additional pension."

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.